By e-mail

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(90)नियम/डीएलबी/22/19720 दिनांकः 12-12-2022

आदेश

विभागीय परिपत्र क्रमांक प.8(ग)(1)नियम/डीएलबी/14/पार्ट/7004–7188 दिनांक 30.12.2014 की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 333 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की नगरीय निकायो में कार्यरत/पदस्थापित एम.बी.बी.एस. डिग्री धारी स्वास्थ्य अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के वर्क ड्यूटी नोर्म्स (कार्यो के मापदण्ड) निम्नानुसार निर्धारित करती हैः–

1. Vital statics जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ।
2. ऐसे व्यवसाय जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते है, उन पर नियंत्रण करना व लाईसेन्स देना जो निम्न प्रकार हैः–
   - (i). Eating House, Bakery, Lodging House, Sweet-Meat Shops को पब्लिक हैल्थ लाईसेंस देकर उन पर नियंत्रण करना।
   - (ii). Food Handler's License होटल, ढाबा, बेकरी या अन्य कोई व्यवसाय जहां किसी व्यक्ति द्वारा फूड हैंडल किया जाता है, उसे कोई Communicable Disease हो तो उसके द्वारा फूड हैडल करने से फैल सकती है, इस पर नियंत्रण के लिए लाईसेंस देना।
   - (iii). सिनेमा हॉल, ड्रामा हॉल, स्विनिंग पूल इत्यादि को जन– स्वास्थ्य की दृष्टि से एनओसी दिया जाना, जिससे की वे जन– स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करें।
   - (iv). ब्यूटी पार्लर, सैलून इत्यादि को एनओसी दिया जाना, जिससे की वे जन–स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिवार्य कृत्यों का पालन करें।
3. नर्सिंग–होम क्लिनिग, हॉस्पिटल्स, द्वारा जो बायो मेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है, उसके Proper Disposal पर नियंत्रण करना व विभिन्न बीमारियों का Surveillance करना तथा इस हेतु रजिस्ट्रेशन करना।
4. वेक्टर बोर्न बीमारियों पर नियंत्रण के संबंध में मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण करना जैसे कीटनाशक छिड़काव, फोगिंग, रेजिड्यूल स्प्रे, स्पेस स्प्रे करना इत्यादि।
5. स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के संबंध में पाक्षिक एंक दिन सरकारी स्कूल के बच्चो को विभिन्न बीमारियों worm infestation, scabies, dental carries, vitamine deficiencies, refractive error इत्यादि के लिए स्कीनिंग करना व इलाज हेतु रेफरल करना।

Scanned with OKEN Scanner

6. निगम द्वारा डिस्पेंसरी (चिकित्सालय) स्थापित होने के उपरान्त बीमारियों का ईलाज करना एवं फैमिलो प्लानिंग, इम्युनाईजेशन इत्यादि राष्ट्रीय प्रोग्राम में निगम स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करना।
7. जयपुर नगर निगम सीमा में स्थित सरकारी/प्राईवेट स्कूल/शिक्षण संस्थाऐं को स्वयं के आवेदन पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रमाण–पत्र जारी करना।
8. हैल्थ स्टोर प्रभारी का कार्य (सफाई कर्मचारी को सफाई कार्य हेतु आवश्यक स्थाई/अस्थाई सफाई सामग्री को क्रय कर वितरण करना)।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(90)नियम/डीएलबी/22/19721-20375 दिनांकः 12-12-2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. निदेशक/अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त आदेश प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with OKEN Scanner